

प्रेषक,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

1-संयुक्त निदेशक,
बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन अधिष्ठान, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2-उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या)
कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी/गढवाल मण्डल-पौडी।

3-समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांक: 250 /स्था0(वा0स्था0अधिनियम-2017)/2018

दिनांक: 08 मई, 2018

विषय : गम्भीर रोग तथा विकलांगता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि निदेशालय के पत्र संख्या 106/स्था0(वा0स्था0अधिनियम-2017)/2018 दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के क्रम में चाही गयी सूचना के आधार पर कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रत्यावेदन/विकल्प निदेशालय को प्रेषित किये गये हैं, जिसमें उनके द्वारा अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के गम्भीर रोगों, अन्य रोगों, तथा विकलांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गये हैं, जो स्थानान्तरण अधिनियम-2017/18 में उल्लेखित धाराओं के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं हैं।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन विद्यायी एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक-2017(सं0-01 वर्ष-2018 के धारा-3(च) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि गम्भीर रोगों के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, राज्य मेडिकल बोर्ड, राज्य के अधिकृत मेडिकल संस्थान अथवा राज्य चिकित्सा विभाग द्वारा राज्य/जनपद स्तर के निर्दिष्ट प्राधिकारी/समिति का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना नितान्त आवश्यक है।


2- विकलांगता के लिए स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-3(च) एवं (छ) में इंगित निर्देशानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना नितान्त आवश्यक है।

अतः संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार गम्भीर रोगों तथा विकलांगता के सम्बन्ध में स्थानान्तरण अधिनियम-2017/18 में उल्लेखित धाराओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

(1) निदेशालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी जो उक्त प्रस्तर के अनुसार भवदीय, स्थानान्तरण से इट चाहते हैं, कृपया सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

@Anshu
8/05/18


(सुशील कुमार)
निदेशक